सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 427 राँची, मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 (ई०)

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

---

अधिसूचना

24 जुलाई, 2026

**संख्या-09/आरोप (राँची)-11/2026 - 2363(09)/रा.,--**उपायुक्त, राँची का पत्रांक-14(i), दिनांक-10.03.2026 द्वारा श्री मनोज कुमार दीक्षित, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, नामकुम अंचल, राँची सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध मौजा-हेथु, थाना नं0-298, खाता संख्या-30, रकबा-3.64 एकड़ भूमि के पंजी- II रैयत बुधु सिंह के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के क्रम में गलत जांच प्रतिवेदन समर्पित करने के कारण अनियमित भुगतान करने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-594, दिनांक- 11.03.2026 द्वारा लिखित बचाव बयान की मांग की गई। उक्त के आलोक में श्री दीक्षित द्वारा बचाव बयान प्राप्त है।

3. प्राप्त आरोप एवं श्री दीक्षित से प्राप्त बचाव बयान की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित प्रतीत होता है।

4. उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु श्री मनोज कुमार दीक्षित के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) तथा वाद संख्या- Cont. Case (Civil) No.-802/2025 मानसा सिंह उर्फ राजेश सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-09.03.2026 को पारित आदेश की कंडिका-9 एवं 13 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची के आदेश ज्ञापांक-229, दिनांक-09.01.2026 द्वारा सुनील कुमार (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग हेतु विभागीय जांच पदाधिकारी नामित किया गया है।

6. अतः विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु सुनील कुमार (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) विभागीय जांच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है तथा अपर समाहर्त्ता, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

**मंजू रानी स्वांसी,**
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 427 - 50